संख्या– 534 /9.1.2016–21सा/09

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 12 फरवरी, 2016

विषयः नगरीय स्थानीय निकायों/जल संस्थानों के अवर अभियन्ताओं के लिए ए0सी0पी0 की विशिष्ट व्यवस्था अनुमन्य कराने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सार्वजनिक उपक्रम/निगम, स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, विकास प्राधिकरण एवं स्वशासी संस्थाओं के अवर अभियन्ताओं को राजकीय विभागों के अवर अभियन्ताओं के सादृश्य पर ए0सी0पी0 की विशिष्ट व्यवस्था लागू किये जाने से संबंधित वित्त(वेतन आयोग) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–23/2015/ वे0आ0–2–258 /दस–62(एम) /2008 टी0सी0 दिनांक 29 अप्रैल, 2015 में निर्धारित की गयी निम्नलिखित व्यवस्था को नगरीय स्थानीय निकायों/जल संस्थानों के अवर अभियन्ताओं पर लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

(1) अवर अभियन्ता वेतन बैण्ड–2 ग्रेड वेतन रू0 4200 के पदों पर 10 वर्ष की सेवा पर प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में ग्रेड वेतन रू0 4600 के स्थान पर ग्रेड वेतन रू0 4800 इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगा कि इससे आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को संबंधित संस्था/निगम द्वारा स्वंय के वित्तीय संसाधनों से वहन किया जायेगा और इस अतिरिक्त व्ययभार को वहन करने हेतु संबंधित संस्था की वित्तीय क्षमता का परीक्षण उसी प्रकियानुसार किया जायेगा जैसा कि पुनरीक्षित वेतन संरचना अनुमन्य कराये जाने हेतु किया गया था।

(2) उक्त अवर अभियन्ता पद धारकों को ए.सी.पी. की व्यवस्था के अन्तर्गत द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन संस्था/निगम में वर्तमान में लागू सामान्य व्यवस्था के अनुसार देय होगा।

2. उपर्युक्त व्यवस्था लागू किये जाने के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को संबंधित निकाय /जलसंस्थान द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा और इस हेतु राज्य सरकार द्वारा संक्रमण के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि के अतिरिक्त कोई धनराशि देय नहीं होगी ।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–वे.आ.–2–142(1)/दस–2016, दिनांक 09 फरवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहे है।

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

G.0.V

संख्या– 534 (1)/9–1–2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा (प्रथम), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उ0प्र0
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त महाप्रबन्धक जलकल विभाग/जलसंस्थान उ0प्र0।
5. समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतें, द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ।
6. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1/2
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–8
8. नगर विकास के समस्त अनुभाग।
9. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(बिहारी लाल काने)
अनु सचिव।

G.0.V